फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला –ब्यावर)

प्रार्थी :– कंचन पुत्री बाबुलाल वगैरह **बनाम** अप्रार्थी :– देवाराम पुत्र बाबुलाल वगैरह

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 453/सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.12.2025	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण की पैतुक पुशतैनी संयुक्त सामलाती खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा निमाजपटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1181, 1204, 1201, 1202, 1200, 1195, 1199, 1213, 1177, 1205, 1210, 1211, 1213/1 भूमि आई हुई हैं। वर्णित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व पति बालूराम पुत्र मोतीराम के नाम वक्त सेटलमेन्ट में थी, बालुराम के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी अप्राथी सं. 01 के नाम इन्द्राज हुई जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 व 02 बालुराम के विधिक वारिसान हैं। तत्कालीन आर आई व पटवारी द्वारा बिना जांच के फौतेदगी म्यूटेशन पारित किया उसमें देवाराम को ही एक वारिस मानकर म्यूटेशन पारित कर दिया जो गलत हैं।वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी हैं जिसमें प्रार्थीगण का हक अधिकार निहित हैं। विधिविरूद्ध पारित म्यूटेशन पारित किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 01 वादग्रस्त अपने नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को बेदखल कर किसी अन्य को रहन बैचान हसतान्तरण करने पर आमदा हैं। यदि अप्राथी अपने कृत्य में सफल हो जाता हैं तो प्रार्थीगण को असीम क्षति होगी। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी काश्त मुतालिक कुल कार्य करे तो किसी प्रकार से बाधा अड़चन रोकटोक नही करे व दखलदांजी नही करें, कच्चा पक्का निर्माण नही करें, न ही किसी तरह बैचान हस्तान्तरण रहन आदि करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक प्रा. पत्र में वर्णित भूमि के वर्तमान मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी एवं विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा निमाजपटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1181, 1204, 1201, 1202, 1200, 1195, 1199, 1213, 1177, 1205, 1210, 1211, 1213/1 भूमि आई हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक प्रा. पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के वर्तमान मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना/नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज सूचित हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 07.01.2026 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (ब्यावर)	
19/12/25	मूल वाद मे पत्रावली तलबी कर प्रा.पत्र पेश करने से पत्रा. आज पेश हुई। मूल वाद मे राजीनामा हो जाने से जरिये विड्रोल खारिज हो चुका है मूल वाद खारिज हो जाने से अब इस अन्तरिम प्रार्थना पत्र मे	1154 अ.भा. अ. निर्मला अ.प्रि. कंचन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की त... जारी हुए
	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रखते अतः प्रभावित हो जाते हैं प्रार्थीगण का इस्तगासा खारिज किया जाता है। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रिकार्ड/मजाहिर जावे हो।	

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)